

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद लखीसराय।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में पथ एवं पुलिया निर्माण मद में स्वीकृत योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

पटना, दिनांक- 26/3/15

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में पथ एवं पुलिया निर्माण मद में निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं० 98 दिनांक 04.03.2014 एवं आवंटनादेश सं० 125 दिनांक 04.03.2014 द्वारा ₹ 67.45280 लाख आवंटित किया गया था :-

क्र०	पुरानी योजना का नाम	आवंटित राशि	अनुशंसित नई योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	महिला विद्या मंदिर से लेकर गरभू स्थान तक और वार्ड सं० 03 में राजनीति राय से अर्जून सिंह के घर तक और तिरलोचन चावला, पंजाबी मुहल्ला के घर से बाइपास तक सड़क निर्माण।	67.45280	नगर परिषद, लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत त्रिलोचन चावला पंचाबी मुहला, के मकान से बाइपास रोड तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	85.04

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित योजना का प्राक्कलन तीन भाग में तैयार कर भेजा गया जिसके तकनीकी अनुमोदन की राशि काफी अधिक होने के कारण उक्त प्राक्कलन के एक भाग का तकनीकी अनुमोदन कराया गया जिसकी राशि ₹ 85.04 लाख है। तदनुसार उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित तथा पूर्व से स्वीकृत योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए स्तम्भ 4 में अंकित नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं० 98 दिनांक 04.03.2014 एवं आवंटनादेश सं० 125 दिनांक 04.03.2014 में अंकित शर्तों के अधीन किया जाएगा तथा आवंटित राशि ₹ 67.45280 लाख के अतिरिक्त अवशेष राशि ₹ 17.5872 लाख का व्यय नगर परिषद के आंतरिक संसाधन से किया जाएगा। में अंकित शर्तों के अनुरूप करायी जाएगी।

विश्वासभाजन,

25-2-15

सरकार के विशेष सचिव

969  
बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद लखीसराय।

पटना, दिनांक-26/2/15

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में पथ एवं पुलिया निर्माण मद में स्वीकृत योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में पथ एवं पुलिया निर्माण मद में निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय राज्यादेश सं० 98 दिनांक 04.03.2014 एवं आवंटनादेश सं० 125 दिनांक 04.03.2014 द्वारा ₹ 67.45280 लाख आवंटित किया गया था :-

क्र०	पुरानी योजना का नाम	आवंटित राशि	अनुशंसित नई योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	महिला विद्या मंदिर से लेकर गरभू स्थान तक और वार्ड सं० 03 में राजनीति राय से अर्जून सिंह के घर तक और तिरलोचन चावला, पंजाबी मुहल्ला के घर से बाइपास तक सड़क निर्माण।	67.45280	नगर परिषद, लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत त्रिलोचन चावला पंचाबी मुहला, के मकान से बाईपास रोड तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	85.04

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित योजना का प्राक्कलन तीन भाग में तैयार कर भेजा गया जिसके तकनीकी अनुमोदन की राशि काफी अधिक होने के कारण उक्त प्राक्कलन के एक भाग का तकनीकी अनुमोदन कराया गया जिसकी राशि ₹ 85.04 लाख है। तदनुसार उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित तथा पूर्व से स्वीकृत योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए स्तम्भ 4 में अंकित नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं० 98 दिनांक 04.03.2014 एवं आवंटनादेश सं० 125 दिनांक 04.03.2014 में अंकित शर्तों के अधीन किया जाएगा तथा आवंटित राशि ₹ 67.45280 लाख के अतिरिक्त अवशेष राशि ₹ 17.5872 लाख का व्यय नगर परिषद के आंतरिक संसाधन से किया जाएगा। में अंकित शर्तों के अनुरूप करायी जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

ज्ञापांक- 2ब०/सड़क 09-31/2014

सरकार के विशेष सचिव  
/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-26/2/15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना /आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/मुख्य अभियंता, बुडा/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग,बुडा, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (02 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव